(65)

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर 2017~~ 09-01-18

कमांक 22/3225/2017/18-5-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2010 के स्थान पर आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 अधिसूचित किया गया है। वेटलैण्ड नियम 2017 के बिन्दु क्र. 5 (1) के परिपालन में मध्यप्रदेश में राज्य आर्द्रभूमि (Wetland) प्राधिकरण का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य परिशिष्ट अ अनुसार होंगे :-

1. माननीय मंत्री,पर्यावरण विभाग,मध्यप्रदेश शासन – अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन अथवा समतुल्य अपर मुख्य सचिव – उपाध्यक्ष
3. पर्यावरण विभाग का भारसाधक प्रमुख सचिव – सदस्य
4. वन विभाग का भारसाधक सचिव – सदस्य (पदेन)
5. ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – सदस्य (पदेन)
6. जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव – सदस्य (पदेन)
7. मत्स्य पालन विभाग का भारसाधक सचिव – सदस्य (पदेन)
8. पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव – सदस्य (पदेन)
9. राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव – सदस्य (पदेन)
10. निदेशक, राजय सुदूर संवेदी केन्द्र – सदस्य (पदेन)
11. मुख्य वन्यजीव वार्डन – सदस्य (पदेन)
12. सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड – सदस्य (पदेन)
13. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य (पदेन)
14. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक – सदस्य (पदेन)
15. आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाए, और
16. पर्यावरण विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक – सदस्य सचिव

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण 3 से अधिक यदि अपेक्षित हो, अन्य सदस्यों, का सह-चयन, कर सकेंगे। प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
आदेशानुसार

(राजीव शर्मा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

121 01-01-18

पृ. क्र. 23 / 3225 / 2017 / 18-5 भोपाल, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि

1. सर्वसंबंधित अध्यक्ष / सदस्य / सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी,मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,पर्यावरण विभाग,मंत्रालय।
5. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय मैदा मिल रोड भोपाल की ओर आगामी राजपत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित।
6. उप संचालक, जनसम्पर्क प्रेस प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
7. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. [illegible]

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

CSP(VV)

[illegible]

1378
5/1/18

मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य

(1) वेटलैण्ड नियम 2017 के उपनियम 5 (4) अनुसार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कर्त्यों का पालन करेगा, अर्थात :-

क. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना ;

ख. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आद्रभूमियो की सूची तैयार करना, अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना ;

ग. इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु उनके संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना ;

घ. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिजीटल सूची तैयार करना और उक्त प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित की जाने वाले डेडीकेटिड वेब पोर्टल पर इसे अपलोड करना, और इस सूची को प्रत्येक दस वर्ष में अद्यतन किया जाएगा ;

ड. अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तार सूची विकसित करना ;

च. विनिर्दष्ट आर्द्रभूमियों के प्रतिशिद्ध कार्यकलापों की सूची में बढोत्तरी यदि कोई हो तो, की सिफारिश करना ;

छ. आर्द्रभूमियों की अधिकारिता के भीतर उनके संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्य नीतियां परिभाषित करना, यदि पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों (जल भंडारण, भू–जल संभरण, बाढ प्रतिरोधक जैसे) और मूल (मनोरंजन और सांस्कृतिक जैसे) का अनुरक्षण किया जाता है या उसमें अभिवृद्धि की जाती है तो इन पारिस्थितिक प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए एक सिद्धांत, जो संरक्षण के साथ संगत वहनीय उपयोगों को समावेशित करता है (जैसे जीवन निर्वाह स्तर हेतु मछली पकडना या जलीय वनस्पति की पैदावार करना) का विवेकपूर्ण उपयोग करना ;

ज. प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन करना (केन्द्रीय सरकार के समन्वयन से सीमा–पारीय आर्द्रभूमियों सहित), और इन योजनाओ के भीतर आर्द्रभूमियों, जो पारिस्थितिकीय स्वरूप के अनुकूल हैं, के पारम्परिक उपयोगों को जारी रखना और उसमें समर्थन देने पर विचार करना ;

झ. उन मामलों में, जहां अधिसूचित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों की सीमा के भीतर भूमि क्षेत्र का निजी भू–धारण अधिकार है, उन्हें बढावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाये रखने के लिए कार्यतंत्रों हेतु सिफारिश करना ;

ञ. विद्यमान राज्य स्तर की विकास योजनाओं और कार्यकमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिए कार्यतंत्रों की पहचान करना ;

ट. इन नियमो और अन्य सुसगत अधिनियमो, नियमों और विनियमो का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अर्द्धवार्षिक आधार पर (प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के जून और दिसम्बर पर) एक सूचना तत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमियों की स्थिति पर सबधित राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को सूचना देना ;

ठ. विभिन्न सगत विभागों और अन्य सबधित अभिकरणो के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धात के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजनाओ के क्रियान्वयन का समन्वयन करना

ड. राज्य के भीतर सभी आर्द्रभूमि विनिंदिष्ट प्राधिकरणों के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप मे कार्य करना ;

ढ. संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना ;

ण. आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु उपाय करना, और

त. स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मामले पर सलाह देना।

(2) उपनियम 5 (5) अनुसार राज्य सरकार का संबंधित विभाग, प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा।

(3) उपनियम 5 (6) अनुसार उपनियम 6 के अंतर्गत प्राधिकरण इन नियमों के प्रकाशन के 90 दिन के भीतर :

1. संक्षिप्त दस्तावेजों और प्रबंध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमिय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने के लिए तकनीकी समिति का, और
2. जनता द्वारा प्राधिकरण को दी गयी शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हे अग्रेषित करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने हेतु चार सदस्यों से बनी एक शिकायत समिति का गठन करेगा।

(4) उपनियम 5 (7) अनुसार उपनियम 6 में निर्दिष्ट समितियां अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(5) उपनियम 5 (8) प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी।

(6) उपनियम 5 (9) राज्य सरकार या प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय
//आदेश//

02-01-18
भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर,2017~~

क्रमांक 22/3225/2017/18–5–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 अधिसूचित किया गया है। नियम 2017 के उपनियम 5 (5) के अनुसार राज्य शासन या संबंधित विभाग द्वारा प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाना है। उक्त नियम के परिपालन में नोडल विभाग के रूप में पर्यावरण विभाग एवं सचिवालय के रूप में एप्को कार्य करेगा तथा शक्तियां एवं कार्य परिशिष्ट 'ब' अनुसार होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
आदेशानुसार

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पृ. क्र 23/3225/2017/18–5
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर,2017~~
02-01-18

1. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी,मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. नगरीय विकास एंव पर्यावरण विभाग की ओर जारी आदेश के साथ मूल नस्ती सहित।
5. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय मैदा मिल रोड भोपाल की ओर आगामी राजपत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित।
6. उप संचालक, जनसम्पर्क प्रेस प्रकोष्ठ,मंत्रालय ।
7. सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. [illegible]

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग,

परिशिष्ट – ब

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय

<u>राज्य सरकार की शक्तियां और कार्य का प्रत्यायोजन</u>

नियम 7 (1) अनुसार राज्य सरकार या सम्बद्ध विभाग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किये जाने हेतु अभिज्ञात प्रत्येक आर्द्रभूमि के लिए एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उपबंध होगा :–

क. निर्देशांकों सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विनिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन;

ख. इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतित उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र ;

ग. पारिस्थितिक–स्वरूप का विवरण ;

घ. पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा ;

ड. आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्त स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची ;

च. आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल–विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची ; और

छ. विनियमों के प्रर्वतन रीति ;

नियम 7 (2) प्राधिकरण संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा।

नियम 7 (3) राज्य सरकार संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से 240 दिन की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी।

नियम 7 (4) क. केन्द्रीय सरकार सीमा पार आर्द्रभूमियों के मामले में, संक्षिप्त दस्तावेज जिसमें उपनियम 1 में यथासूचीबद्ध सूचना दी गई हो, को तैयार करने में संबद्ध राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी।

ख. संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगी।

ग. केन्द्रीय सरकार संबद्ध और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात समिति द्वारा की गयी सिफारिश की तारीख से 240 दिन से अनधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

नियम 7 (5) क. केन्द्रीय सरकार आर्द्रभूमियों से संबंधित सूचना के लिए एक समर्पित वेबपोर्टल का सृजन करेगी।

ख. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अपनी अधिकारिता में आर्द्रभूमियों के विषय में, सभी संबंधित सूचना अपलोड करेगी।

अपर सचिव
म.प्र. शासन
पर्यावरण विभाग

(735)

1

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//संशोधन आदेश//

भोपाल,दिनांक 27 फरवरी,2018

क्रमांक 627 /3225/2017/18-5-इस विभाग के क्रमांक 22/3225/2017/18-5, दिनांक 2/1/2018 द्वारा माननीय मंत्रीजी पर्यावरण की अध्यक्षता मे मध्यप्रदेश मे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया जाकर सदस्य नियुक्त किये गये है ।

2/ उक्त आदेश के अनुक्रमांक-16 मे पर्यावरण विभाग के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है ।

3/ प्राधिकरण मे नोडल विभाग के रूप मे पर्यावरण विभाग एवं सचिवालय के रूप में कार्य किये जाने हेतु एप्को अधिकृत है ।

4/ एप्को को सचिवालय के रूप में कार्य किये जाने हेतु मनोनीत किया गया है,अतः राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश दिनाक 2/1/2018 के अनुक्रमांक-16 में आंशिक संशोधन करते हुए अपर सचिव/उप सचिव/निदेशक को सदस्य के रूप मे तथा अनुक्रमांक-17 पर कार्यपालन संचालक,एप्को को सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है ।

(सी0के0साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

क्रमांक 628 /3225/2017/18-5

भोपाल,दिनांक 27 फरवरी,2018

प्रतिलिपिः

1/ सर्वसंबंधित अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव ।
2/ प्रमुख सचिव,मा0मुख्यमंत्रीजी,मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय ।
3/ प्रमुख सचिव(समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय ।
4/ प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,पर्यावरण विभाग,मंत्रालय ।
5/ कार्यपालन संचालक,एप्को,भोपाल ।
6/ नियंत्रक,शा0केन्द्रीय मुद्रणालय,मैदा मिल रोड,भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित ।
7/ सचिव,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

SP(VV)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)
2332
1/3/2018